

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 204 वीं बैठक दिनांक 20.09.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एजेण्डा संख्या 1 से 11 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 6 तक एवं 8 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-1।) द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी-1) द्वारा अतिरिक्त एजेण्डा सं. 7 (जोन-4) प्रस्तुत किये गये, बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:-

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी-1)/ सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती नलिनी कठोटिया, अति. आयुक्त (भूमि) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:-

1. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी-द्वितीय) जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी) व बीपीसी (एलपी) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री लोकेश सहल, उपायुक्त, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त, जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री संजय जैन, उपायुक्त, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हरिन्द्र सिंह, उपायुक्त, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, उपायुक्त, जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (रोवानिवृत्त), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री रामस्वरूप शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री सोहन वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री भरतमल माली, सहायक नगर नियोजक, जोन-14, जविप्रा, जयपुर।
15. श्रीमती प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक, (एम.पी/एल.पी) जविप्रा, जयपुर।
16. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा

203 / 13.09.2013

विषय :- बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 203 वीं बैठक दिनांक 13.09.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 203 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन थे जो कि क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी-208 दिनांक 25.09.2013 को जारी किये जा चुके हैं।

एजेण्डा

204 / 20.09.2013

विषय :- सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के सम्बन्ध में दिगत सप्ताह में की गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या-1

204 / 20.09.2013 (जोन-7)

विषय :- शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चांद बिहारी नगर के 60' रोड के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2025 में खातीपुरा रोड से चांद बिहारी नगर के मध्य में से सेक्टर 13-14 में 100' चौड़ी सड़क प्रस्तावित है, मौके पर इस सड़क की चौड़ाई 30' से 35' ही उपलब्ध है। प्रशासन शहरों के सग अभियान के दौरान कॉलोनीवासियों का इस सड़क की चौड़ाई कम करने के संबंध में राज्य सरकार के मार्फत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। इसके अंतर्गत प्रकरण को पूर्व में बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 197वीं दिनांक 26.07.2013 का एजेण्डा संख्या 3 में विचारार्थ रखा गया था, जिसमें इस सड़क पर स्थित के-5सी योजना के पश्चात् सड़क की चौड़ाई 60' किए जाने तथा आम जनता से आपत्ति/सुझाव मांगे जाने का निर्णय लिया गया था। निर्धारित समय में कोई आपत्ति/सुझाव नहीं आने पर अन्तिम निर्णय हेतु, प्रकरण को बैठक में रखा गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

1. योजना में प्रस्तावित 100' चौड़ी मास्टर विकास योजना 2025 की रोड का अलाइमेन्ट रोड से मिलान नहीं करने व मास्टर विकास योजना 2025 बनाये जाने के दौरान उक्त रोड के संबंध में प्राप्त आपत्ति/सुझाव क्रमांक 168 पर उक्त रोड को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया था, परन्तु सहवन से मास्टर विकास योजना 2025 के मानचित्र पर उक्त रोड को दर्शा दिया गया।
2. प्रस्तावित सेक्टर 13-14 में 100' चौड़ी सेक्टर रोड को के-5 सी योजना में यथावत रखने व चाँद बिहारी नगर योजना में सघन आबादी होने के कारण उक्त रोड को मौके पर उपलब्ध 35'-40' रोड के अलाइमेन्ट से मिलान कर 60' चौड़ा रखा जाने का निर्णय लिया गया।
3. चाँद बिहारी नगर योजना में एक 40' सेक्टर रोड प्रस्तावित है, जिसका अलाइमेन्ट पूर्व अनुमोदित योजना जसवत नगर की 40' सड़क से मिलान नहीं करने व सघन निर्माण होने के कारण चाँद बिहारी नगर योजना में विलोपित कर, मौके पर उपलब्ध 30' यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-2

204/20.09.2013 (जोन-7)

विषय :- श्री नगेन्द्र सिंह जरिये मुख्यतारनामा खातेदार द्वारा राजस्व ग्राम-कैशोपुरा, तहसील-सांगानेर की भूमि पर आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में दो हाइटेन्शन लाईन गुजर रही है, जिसमें आवासीय क्षेत्र 49.63 प्रतिशत ही मिल रहा है। योजना टाउनशिप पोलीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत 2010 प्रस्तावित की गई है, अतः योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-3

204/20.09.2013 (जोन-7)

विषय :- भूखण्ड संख्या-1, रोशन नगर-ए एवं बी जो 160' व 60' चौड़ी सड़क के जंक्शन पर स्थित होने पर मिक्स लेण्डयूज हेतु लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह भूखण्ड 160' व 60' सड़क के जंक्शन पर स्थित है। समिति के सदस्यों द्वारा इस भूखण्ड के सर्वे का अवलोकन किया गया। समिति के सदस्यों का मत था कि स्वीकृत सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कों की चौड़ाई तथा भवन विनियमों के अनुसार सैटवैक रखे जाने पर आच्छादित क्षेत्र अधिक उपलब्ध नहीं होता है। मास्टर विकास योजना 2025 में इस क्षेत्र का भू-उपयोग मिक्स लेण्ड यूज दर्शाया गया है, किन्तु मास्टर विकास योजना-2025 के प्रावधानों के अनुसार जंक्शन पर मिक्स लेण्ड उचित नहीं है। चूंकि वर्तमान में इस स्थल का कोई जंक्शन प्लान तैयार नहीं हुआ है एवं मौके की स्थिति तथा भूखण्ड की साइज को मध्य नजर रखते हुये इस भूखण्ड पर बहुमंजिले भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अतः निर्णय लिया गया कि इस भूखण्ड का मिक्स लेण्ड यूज का पट्टा दे दिया जावे।

एजेण्डा संख्या-4

204/20.09.2013 (जोन-9)

विषय :- रिनायजेन्स विल्डहोम प्रा.लि. द्वारा राजस्व ग्राम रलावता तहसील बस्सी की आवासीय योजना बसंत कुंज अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये कि:-

1. योजना में गैर मुमकिन रास्ता एवं सरकारी जमीन स्थित है, जिसके एवज में समानुपात में भूखण्डों का प्रस्ताव योजना मानचित्र में दिया गया है, जिनका प्रकरण जविप्रा की एल.पी. बैठक से निर्णित करवाये जाकर भूखण्डों को जविप्रा के आधिपत्य में लिया जावे।
2. योजना के मध्य में गैर मुमकिन आबादी क्षेत्र है, जिसके क्रम में आवेदनकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत में राशी रु. 2205900.00 जमा करवाकर ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है योजना में उक्त क्षेत्र को पार्क/ग्रीन एरिया मार्क किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार्य किया गया।
3. योजना में दर्शित अफोर्डेबल हाऊसिंग भूखण्ड को योजना में सम्मिलित किया गया है एवं टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान अनुसार पार्क व फैंसिलिटी एरिया प्रत्येक दस-दस प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। अतः अफोर्डेबल पॉलिसी के प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग को अनुमोदित किया जावे। उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर योजना मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या-5

204/20.09.2013 (जोन-11)

विषय :- आवेदक मैसर्स गैलेक्सी रीयलमार्ट प्रा.लि. एवं मैसर्स गैलेक्सी बिल्डमार्ट प्रा.लि. द्वारा आवासीय योजना गैलेक्सी एन्क्लेव का अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में प्रस्तावित गुप हाउसिंग भूखण्ड के साथ नहर की भूमि है। इसलिए पूर्व की बैठक में नहर के उपर कल्वर्ट बनाने के संबंध में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाहा गया था। चाहा गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र सिंचाई विभाग द्वारा दे दिया गया है। योजना में रिटेल कॉमर्शियल में दुकानों की साइज 10'x10' से अधिक प्रस्तावित की है, इसलिए 10'x10' साइज की रिटेल कॉमर्शियल की दुकानों दर्शाते हुए मानचित्र में संशोधन कर योजना अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-6

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- मैसर्स अलाईड लैण्डमार्क की आवासीय योजना बालाजी ग्रीन्स का मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रार्थी ने समिति के समक्ष संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पार्क व सुविधा क्षेत्र 10%-10% कर दिया है, इसलिए योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-7

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- आवेदक श्रीमती निर्मल यादव पत्नी श्री अश्वनी कुमार यादव व ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नं. 627 रकबा 0.49 हैक्ट., ख.नं. 628 रकबा 0.30 हैक्ट. में से 0.11 हैक्ट. ख.नं. 629 रकबा 0.35 में से 0.32 हैक्ट. ख.नं. 638 रकबा 0.39 हैक्ट. ख. नं. 640 रकबा 0.74 हैक्ट. में से 0.10 हैक्ट. ख.नं. 641 रकबा 0.04 में से 0.02 हैक्ट. कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.73 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस योजना की भूमि के पास की भूमि NRI योजना हेतु भूमि अवाप्त की गयी थी। सेक्टर प्लान में 200' चौड़ी सड़क की भूमि के साथ सड़क के दोनों ओर 100'-100' भूमि अवाप्त की गयी थी तथा 160' रोड पर दोनों ओर 80'-80' भूमि अवाप्त की गयी थी, जिसमें प्रार्थी की भूमि भी अवाप्ति में आने के कारण प्रार्थी की योजना को जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं रहता है, प्रार्थी द्वारा 40' चौड़ाई की सड़क हेतु भूमि का मुआवजा न लेने के संबंध में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा 40' सड़क की भूमि का मुआवजा नहीं लेने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, इसलिए प्रार्थी की योजना में जाने हेतु 40' चौड़ी सड़क रखे जाकर योजना मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा संख्या-8

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- श्री गोविन्द ड्रीम प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. की आवासीय योजना श्याम आंगन का मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना में सुविधा क्षेत्र 10 प्रतिशत तथा पार्क 10 प्रतिशत दर्शाया है। योजना टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार है इसलिए योजना अनुमोदित किया जावे। जिन भूखण्डों के सैटबैक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, उसे अस्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा संख्या-9

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- ड्रापट सेक्टर प्लान 81 व मास्टर प्लान-2025 में फागी रोड से पहाडिया को जाने वाली 60 मीटर रोड को 48 मीटर करने बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस क्षेत्र में रोहिणी नगर-प्रथम व रोहिणी नगर -द्वितीय तथा अन्य योजनाओं में यह सड़क 48 मीटर स्वीकृत की गयी थी। इसलिए प्रार्थी ने 48 मीटर सड़क रखने के संबंध में आवेदन किया है। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि मास्टर प्लान बनने से पूर्व रोहिणी नगर-प्रथम व द्वितीय स्वीकृत की गयी थी, इसलिए इन योजनाओं में 48 मीटर की सड़कें प्रस्तावित की गई थी तथा मास्टर प्लान रोहिणी नगर योजना के बाद में बना है तथा मास्टर प्लान 2025 में उस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित की है, इसलिए मास्टर प्लान 2025 के अनुसार यह सड़क 60 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या-10

204/20.09.2013 (जोन-11)

विषय :- सेक्टर 51, 52, 53, में 24 मीटर सड़क के एलाईमेंट में परिवर्तन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन के अनुसार प्रस्तावित सड़क के पास पुरानी सड़क स्थित है, इसलिए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि सेक्टर प्लान 51, 52, 53 में प्रस्तावित 24 मीटर सड़क को मौके पर निर्मित पुरानी 24.0 मीटर सड़क दर्शाते हुए स्थिति में परिवर्तन किया जावे, क्योंकि इस आंशिक परिवर्तन से किसी अन्य खातेदार की भूमि प्रभावित नहीं होती है।

एजेण्डा संख्या-11

204 / 20.09.2013 (जोन-13)

विषय :- आवेदकगण बृजधाम बिल्डहोम प्रा.लि. द्वारा राजस्व ग्राम लबाना, तहसील आमेर के कुल किता 35 रकबा 30.43 हैक्ट. एवं राजस्व ग्राम गुनावता तहसील आमेर के कुल किता 9 कुल रकबा 4.68 हैक्ट. एवं धारा 90बी शुदा राजस्व ग्राम गुणवता तहसील आमेर के कुल किता 9 कुल रकबा 5.04 हैक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 30.15 हैक्ट. भूमि पर फार्म हाउस प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस की योजना का अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ किया गया:-

1. योजना मानचित्र में मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार 90 मीटर चौड़ी उत्तरी रिंग रोड प्रस्तावित योजना में दर्शाया गया है, आवेदित भूमि की 90बी प्रकरण संख्या 240/2008 एवं 90ए प्रकरण संख्या 51/2013 में हुई थी। मास्टर विकास योजना-2025 में उक्त भूमि का भू-उपयोग जी-2 क्षेत्र है जिसमें फार्म हाउस अनुज्ञेय है, अतः राज्य सरकार से अनुमति लेकर अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. टाउनशिप पॉलोसी 2010 की गाइड लाइन में फार्म हाउस योजना हेतु सड़क की चौड़ाई निर्धारित नहीं है, इसलिए फार्म हाउस योजना में दर्शायी 40' सड़क के अनुसार योजना स्वीकृत की जावे।
3. फार्म हाउस हेतु योजना मानचित्र 70:30 के अनुपात में प्रस्तुत किए हैं, जो टाउनशिप पॉलोसी 2010 के अनुसार है। इसलिए फार्म हाउस योजना को स्वीकृत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1

204 / 20.09.2013 (जोन-9)

विषय :- ग्राम झुंझारपुरा उर्फ मेंदला तहसील सांगानेर की आवासीय योजना करोल नगर द्वितीय का मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:-

1. प्रस्तावित भूमि में एच.टी.लाईन गुजरती है, इसलिए इन लाइनों के नीचे के भूखण्डों का नियमन लाइनें हटाने के पश्चात् मान्य होगा।
2. सेक्टर 36-37 में 80'-0"-80'-0" ये चौड़ी सड़कों के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई का 1/2 के बराबर गहराई में व्यावसायिक भू-पट्टी के स्थान पर आवासीय भूखण्ड दर्शाये हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सेक्टर कॉमर्शियल नहीं दर्शाया गया है। अतः राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-2

204 / 20.09.2013 (जोन-12)

विषय :- गणेश विहार योजना (लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति) के भू.सं. 1 से 4 पर से 11 के.वी.की एच.टी. लाइन हट जाने के कारण अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि गणेश विहार योजना (लक्ष्मी गृ.नि.स.स.) के भू.सं. 1 से 4 से एच.टी. लाइन हट गयी है। इस संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर भू.सं. 1 से 4 का नियमन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-3

204/20.09.2013 (जोन-12)

विषय :- गैसर्स गोविन्द कृपा बिल्डमार्ट प्रा.लि. की पार्थ सिटी आवासीय योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये कि :-

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र की भूमि में मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार रिंग रोड दर्शाई गयी है तथा मास्टर प्लान में रिंग रोड के पश्चात् 30 मीटर चौड़ा ग्रीन क्षेत्र दर्शाया है। रिंग रोड की चौड़ाई 360 मीटर निर्धारित है इसलिए रिंग रोड क्षेत्र तथा ग्रीन क्षेत्र की भूमि 30 मीटर को अलग करते हुए, शेष भूमि में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी से संशोधित योजना मानचित्र लिए जावें।
2. मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार रिंग रोड क्षेत्र 360 मीटर व ग्रीन क्षेत्र 30 मीटर को टाउनशिप पॉलिसी-2010 के परिपेक्ष में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-4

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- ओम शिव प्रोपर्टीज प्रा.लि. की आवासीय योजना शिव विहार अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय निम्न शर्तों के साथ लिया गया :-

1. आवेदित भूमि वाटिका से भाटेड रोड पर स्थित है, इस सडक की चौड़ाई 30 मीटर की जावें।
2. प्रस्तावित योजना 2 भागों में प्रस्तावित की है, एक भाग मास्टर विकास योजना 2025 के अंतर्गत 160' सडक पर स्थित है, इस भाग में सिर्फ ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्डों के अतिरिक्त पार्क व सुविधा क्षेत्र ही रखा जाकर संशोधन करवाया जावें।
3. मूल योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार संशोधन करवाया जावें।
4. रिटेल कॉमर्शियल व कॉमर्शियल 6 प्रतिशत अनुज्ञेय है, जबकि प्रार्थी द्वारा योजना मानचित्र 7.29 प्रतिशत दर्शाया है, इसलिए इसे 6 प्रतिशत ही किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-5

204/20.09.2013 (जोन-14)

विषय :- ग्राम चंदलाई तह. चाकसू की भूमि पर सृजित श्री गणपति गृ.नि.स.स. लि. की आवासीय योजना गणेश विहार विस्तार के ब्लॉक डी, के, एल, ओ, पी, एस, आर के मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श किया गया कि पूर्व में गणेश विहार योजना को बीपीसी (एलपी) में स्वीकृत कर योजना 68:32 के अनुपात में अनुमोदित की गई थी तथा मौके पर 10 प्रतिशत से कम निर्माण होने के कारण स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया गया था। नगरीय विकास विभाग के पत्र द्वारा नियमन की स्वीकृति पत्र क्रमांक प.5(3)नविति./13/1999 पार्ट दिनांक 20.01.20012 को जारी की गई थी, जिसमें 10 प्रतिशत से कम निर्माण की स्थिति में योजना पर कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए गये थे। वर्तमान में गणेश विहार विस्तार में प्रार्थी द्वारा संशोधित योजना प्रस्तुत की है एवं मौके पर योजना में निर्माण 10 प्रतिशत से कम है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर राज्य सरकार की स्वीकृति ले ली जावे, राज्य सरकार से स्वीकृति पश्चात् ही अनुमोदित योजना के ब्लॉक डी, के, एल, ओ,पी,एस,आर. का मानचित्र जारी किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-6

204/20.09.2013 (जोन-15)

विषय :- श्री संदीप छावडा द्वारा ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर की आवासीय योजना मोती सन्स टाउनशिप अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित योजना का लिंक अनुमोदित युनिक सिटी योजना से किया जावे।
2. योजना में एच.टी. लाइन गुजरती है, इसलिए इन लाइनों के नीचे के भूखण्डों का पट्टा एच.टी. लाईन हटने के पश्चात् दिया जावे।
3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानुसार पार्क व सुविधा क्षेत्र 10 प्रतिशत प्रत्येक प्रस्तावित किया गया है, अतः प्रस्तावित योजना अनुमोदित की जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-7

204/20.09.2013 (जोन-4)

विषय :- न्यू पिकासिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर-सी में मास्टर प्लान-2025 के प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समिति के आवासीय भूखण्डों के नियमन के संबंध में।

समिति के समक्ष एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना की 90वीं मास्टर विकास योजना-2025 के अनुमोदन से पूर्व की गयी थी। अतः इसे कमिटेमेन्ट मानते हुए व्यावसायिक के स्थान पर नियमानुसार आवासीय पट्टे दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-8


204/20.09.2013 (जोन-11)

विषय :- औद्योगिक योजना कृष्णा कुंज के योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 200 वीं दिनांक 23.08.2013 के बिन्दु 8 में पर्यावरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल 48.47 हैक्ट. ही है, जबकि पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र 50 हैक्ट. या इसमें अधिक क्षेत्र की योजनाओं में ही लिया जाता है। समिति ने विचार विमर्श पश्चात् कर इस योजना में पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव 27-9-13
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.)/बीपीसी/2013/डी-211

दिनांक: 27/9/2013

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व)/पश्चिम/एलपीसी/भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन-.....जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।


अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव 27-9-13
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।